



अध्याय IX संग्रहित परन्तु जमा न कराया गया सेवाकर

9. सेवा कर का संग्रहण किया गया परन्तु उसे सरकार को जमा नहीं करवाया गया

वित्त अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 73 ए (18 अप्रैल 2006 से यथा संशोधित) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो सेवाकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और उसने निर्धारित सेवाकर से अधिक कोई भी राशि जमा की है, तो उसे जमा संग्रहित की गई राशि का तुरन्त केन्द्र सरकार को क्रेडिट कर देना चाहिए।

हमने देखा कि 14 मामलों में, सीसीएस, सीओएन, और डब्ल्यूसीएस के सेवा प्रदाताओं ने ₹ 3.87 करोड़ का सेवा कर जमा किया था किन्तु इसे सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया था। वे ₹ 60.74 लाख के ब्याज और ₹ 3.87 करोड़ तक की शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। विभाग द्वारा ₹ 53.80 लाख की वित्तीय अर्थापत्ति के तीन मामलों को स्वीकार किया गया था और अतिरिक्त सेवा कर की वसूली की गई थी।

कुछ सोदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

9.1 रायपुर कमिश्नरी में, मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स और कंसंट्रक्शन लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट को सीसीएस आपूर्त किया था और कुल राशि पर 12 प्रतिशत की दर से सेवा कर प्रभारित किया था किन्तु सेवा कर का भुगतान, छूट का दावा करने के बाद किया था। 2005-06 से 2006-07 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने प्रदान की गई ₹ 7.80 करोड़ की निर्माण सेवा के प्रति ₹ 1.07 करोड़ का सेवा कर प्रभारित किया किन्तु केवल ₹ 29.48 लाख जमा किया। इससे ₹ 77.32 लाख (शिक्षा उपकर को छोड़कर) कम जमा हुआ। निर्धारिती ₹ 20.10 लाख के ब्याज और ₹ 77.32 लाख तक की शास्ति के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी था।

9.2 लुधियाना कमिश्नरी में, मैसर्स आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड सीसीएस के अन्तर्गत कर योग्य सेवाएं प्रदान करता था। हमने पाया कि निर्धारिती ने ₹ 34.79 करोड़ की कर योग्य सेवा प्रदान की थी और अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक ₹ 1.42 करोड़ (छूट के मूल्य पर 12.36 प्रतिशत की दर से) का सेवा कर प्रभारित किया था। तथापि, इसने उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 71.57 लाख (फरवरी 2008 तक 2.06 प्रतिशत की दर से और मार्च 2008 के लिए 4.12 प्रतिशत की दर से) का सेवा कर जमा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 70.35 लाख के सेवा कर का अनुचित अवशोधन हुआ जिसकी ₹ 9.15 लाख के ब्याज और ₹ 70.35 लाख तक की शास्ति के साथ वसूली होनी चाहिए थी।

9.3 कोलकाता एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स बीएचईएल जो सीसीएस प्रदान करती है, ने वैस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक संविदा की। मांग पत्र में (मार्च 2007) यह निर्धारित किया गया कि सभी लागू कर और शुल्क प्रस्ताव की

तिथि (27 अक्टूबर 2006) से प्रचलित दरों के अनुसार होने चाहिए और शुल्कों की दरों में किसी भी प्रकार की गिरावट के मामले में, ऐसे शुल्कों और करों की अधिक राशि को निर्धारिती द्वारा वापिस किया जाएगा। हमने पाया कि जब संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे तब 12.24 प्रतिशत की दर से लागू सेवा कर सहित कुल संविदा मूल्य ₹ 197.07 करोड़ था। तदन्तर, उस परियोजना को डब्ल्यूसीएस में परिवर्तित कर दिया गया था और निर्धारिती द्वारा कुल प्राप्त राशि 2.06 प्रतिशत की दर से संयोजन योजना के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किया गया था। अधिक जमा किए गए सेवा कर का न तो वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को वापिस किया न सरकारी खजाने में जमा करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। निर्धारिती ₹ 10.15 लाख के ब्याज और ₹ 39 लाख तक की शास्ति के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी था।

9.4 मुम्बई एसटी कमिश्नरी के अन्तर्गत मुम्बई-1 डिवीजन में, मैसर्स विजयनाथ इंटरियर एण्ड एक्सटिरियर प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2008 को समाप्त छिमाही के लिए ₹ 74.46 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। निर्धारिती द्वारा उस अर्ध वर्ष के लिए एसटी-3 रिटर्न नहीं भरा गया था। उस अवधि के दौरान बैंक विवरणों और प्राप्तियों के विवरण का मिलान करने पर देखा गया कि मार्च 2008 के दौरान निर्धारिती ने ₹ 2.77 करोड़ का संग्रहण किया था जिसमें ₹ 34.18 लाख का सेवा कर सम्मिलित था। यह भुगतान किए गए ₹ 74.46 लाख के कर के अतिरिक्त था। ₹ 34.18 लाख का सेवा कर संग्रहित किया गया था किन्तु लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2008) तक उसका भुगतान नहीं किया गया।

हमारे द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2008) निर्धारित ने ₹ 34.18 लाख के सेवा कर और ₹ 0.89 लाख के ब्याज का भुगतान कर दिया (अगस्त 2008)।